छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

— — o — —

:: आदेश ::

शासकीय विज्ञान कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय
क्रमांक.. 894
दिनांक.. 22/11/2014
बालोद जिला बालोद (छ.ग.)

नया रायपुर, दिनांक /11/2014

क्रमांक एफ 1–22/2014/38–1 :: राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1556/95/2010/चयन दिनांक 16.10.2014 द्वारा सहायक प्राध्यापक (कम्प्यूटर साईन्स) के पद हेतु जारी चयन सूची की "मुख्य सूची" में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (कम्प्यूटर साईन्स) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600–39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/– में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियुक्त करता है :–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	अनामिका शुक्ला C/0 श्री आर.एन.शर्मा पांडे फ्लोवर मील के पास, देवनंदन नगर फेस–1, सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय ई राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर	अनारक्षित
2	श्री लीलाधार कुमार गवेल , बाल्टी फैक्ट्री के पास, जोरापारा सरकंडा, बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद	पि.वर्ग
3	श्रीमती किरण बाला दुबे, C/0 श्री अनिल पाण्डेय, चौबे कालोनी, महाराष्ट्र भवन के पास रायपुर छ.ग.492001	शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर	अनारक्षित
4	स्वाती जैन,सी–170 टैगोरनगर व्यापम के पूर्व कार्यालय के बाजू रायपुर छ.ग. 492001	शास.जे.यो छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	अनारक्षित
5	श्री अनुज कुमार द्विवदी पता–गंगोत्री 130ए/4डी तेलियरगंज,अवतार सिनेमा हाल के पीछे,इलाहाबाद यू.पी. 211004	शासकीय विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय जशपुर नगर	अनारक्षित
6	श्री सनत कुमार, ग्राम पो. कोसा (तिलोकवापारा),व्हाया गोपलनगर, जिला जांजगीर चांपा छ.ग.	शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर	पि.वर्ग
7	काजल किरण गुलहरे, नंद लाल राईस मिल के सामने गोड़पारा , बिलासपुर छ.ग.495001	शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर पी.जी.कला विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग	पि.वर्ग.
8	श्री राजू खूटे, C/0 श्री एस.के.बंजारे, 2 एम रेवेन्यु ई पुराना, रसियन ब्लाक सेक्टर–6 भिलाई दुर्ग छ.ग. 490006	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव	अनु.जाति
9	दुर्गेश कुमार कोटांगले,जैन मंदिर के पीछे वार्ड नं.–6 अकलतरा जिला जांजगीर–चांपा छ.ग.495552	शासकीय वि.या.ता.पी.जी.कला विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग	अनु.जाति

........................2

22/11/14

Scanned with CamScanner

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंनतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

Scanned with CamScanner

12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

प्रमाणित किया जाता हैं कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

sd/-

(राजेश सिंह राणा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्र.एफ 1–22 / 2014 / 38–1 नया रायपुर, दिनांक 17 / **11 / 2014**

प्रतिलिपि :–

(1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
(3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
(4) मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
(5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
(6) निज सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
(7) कलेक्टर, जिला .... (छ.ग.)।
(8) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1556 / 95 / 2010 / चयन, दिनांक 16.10.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।
(9) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
(10) संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
(11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
(12) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
(13) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर / अम्बिकापुर / जगदलपुर (छ.ग.)।
(14) संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, [illegible] .... (छ.ग.) की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों / अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका–2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।
(15) संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला ....।
(16) सर्व संबंधित ....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(17) आदेश फोल्डर।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-32/2017/38-1 :: राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1038/22/चयन/17/N दिनांक 31/2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (भूगोल) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी का पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (भूगोल) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री उसत राम पटेल आ.श्री धनीराम पटेल ग्राम कादूल पाली, पो.सालर तह.सारंगढ़ जिला -रायगढ़ छ.ग. 496445	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़	OBC /UR
2	श्री आयुषमान मिश्रा आ.श्री ,कमल कांत मिश्रा, रविन्द्रनाथ टैगोर नगर,ग्रीन गार्डन के बाजू, में मुंगेली रोड बिलासपुर छ.ग.493001	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा	UR
3	श्री अम्बिकेश स्वर्णकार आ.श्री. प्रदीप कुमार सोनी,महावीर मंदिर गली डिसी रोड अंबिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. 497001	शासकीय महाविद्यालय, दुलदुला	OBC /UR
4	श्री देवेन्द्रधर द्विवेदी आ.श्री.रमाशंकर द्विवेदी शा. उ.मा.वि.आनंदगांव (ग्रा. पंचायत)बेरला जिला बेमेतरा छ.ग. 491332	शास.प.जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय, बेमेतरा	UR
5	दीपीका स्वर्णकार आ.श्री.प्रदीप सोनी महावीर गली डिसी रोड अंबिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. 497001	शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर	OBC /UR-F
6	श्री रोशन कुमार भारती आ.श्री खेद लाल भारती, एलआईजी 78 फेस 2 कबीर नगर रायपुर छ.ग.	शासकीय महाविद्यालय, प्रेमनगर	SC /UR
7	श्री राहुल कुमार आ. श्री मनीभूषण प्रसाद एटी गुरूकुल रोड बैरगनिया जिला-सीतामरही बिहार 843313	शासकीय महाविद्यालय, खड़गवा जिला कोरिया	UR
8	श्री ओम प्रकाश बघेल आ.श्री भानु प्रताप ग्राम कुटेला भाठा कोहका रोड ठाकुर पारा,थाना.पो जेवरा सिरसा जिला दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय डॉ. भवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय पेन्ड्रा	OBC /UR
9	श्री उमेश कुमार पाठक आ.स्व.श्री विश्राम प्रसाद पाठक, जमातपारा वार्ड 21 कवर्धा जिला--कबीरधाम छ.ग. 491995	शासकीय महाविद्यालय खेरथा, जिला बालोद	UR
10	प्रीति बाला जायसवाल आ.श्री गया प्रसाद जायसवाल, राजेन्द्र नगर गली नं.-8 सतना म.प्र. 485001	शासकीय स्व. चन्दूलाल चन्द्राकर महाविद्यालय, पाटन	UR-F
11	श्री संतोष कुमार पटेल आ.श्री वनमाली पटेल,ग्राम कुड़ेकेल, पो. सिरको,तह.बसना,जिला-महासमुंद छ.ग. 493554	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर	OBC /UR

N-1

Scanned with CamScanner

12	श्री कुणाल किशोर आ.श्री किशोरी रमण प्रसाद द्वारा डॉ मधुरेन्द्र पाडे, मनोरमा मार्केट डी.एन दास लेन, बंगाली अखाड़ा.मछुआ टोली.पटना बिहार 800004	शासकीय महाविद्यालय, विश्रामपुर	UR
13	श्री रामयश आ.श्री दयाराम ग्राम शाहपुर फुरगौल.पो.मुबारकपुर थाना टाण्डा, जिला–अंबेडकरनगर उ.प्र. 224190	नवीन शासकीय महाविद्यालय, भैरमगढ़	UR
14	श्री पंकज साहू आ.श्री सुरीत राम साहू क्वा. एफ 642 धौलागिरी विहार एचटीपीपी कॉलोनी दर्री जिला–कोरबा छ.ग.495450	शासकीय शहीद वीर नारायण महाविद्यालय, बिलाईगढ़	OBC /UR
15	श्री बृजलाल पटेल आ.स्व.श्री गोसाई राम पटेल, भूगोल अध्ययन शाला पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर छ.ग. 492010	शासकीय महाविद्यालय, शक्तिगढ़	OBC /UR
16	श्री तेजराम पटेल आ.श्री ठेंडाराम पटेल.ग्राम पंडर पो.नंदेली.तह.जि.रायगढ़ छ.ग.496001	शासकीय राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय, उदयपुर	OBC
17	श्री संतोष कुमार देवांगन आ.श्री राधे श्याम देवांगन.मु.पो.–बिलाईगढ बंगला भाठा कचहरी चौक बिलाईगढ जिला–बलौदाबाजार छ.ग. 49338	शासकीय महाविद्यालय, भटगांव	OBC
18	श्री गिरवर सिंह भारद्वाज आ. श्री गजाधर प्रसाद भारद्वाज, c/o श्री सुशील कुमार शर्मा आ.क.35 सब स्टेशन के पास सेक्टर 3 दिनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर छ.ग.492010	शासकीय महाविद्यालय, बेरला	OBC
19	श्री मेघनाथ सिदार आ.श्री घसिया सिदार c/o श्री बुद्धेश्वर वैष्णव झारबंद रोड गगरपुर रोड तह. बसना जिला–महासमुंद छ.ग.493558	शास.महा. कसडोल जिला बलौदाबाजार	ST
20	श्री गोपानंद खरे आ.श्री छबिलाल खरे 18/ए 11बी हॉस्पीटल सेक्टर दल्लीराजहरा तह.डौंडी जिला– बालोद छ.ग.	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद	SC
21	श्री संदीप कुमार सोनी आ.श्री बलदेव प्रसाद सोनी भैयाथान रोड मंदिरपारा सूरजपुर छ.ग.497229	शासकीय महाविद्यालय, आरा जिला जशपुर	OBC /UR-OH
22	विजयलक्ष्मी आ.श्री भोलानाथ उमर, अंजही महल,गोपीगंज एसआरएन भदोही उ.प्र.221303	शासकीय महाविद्यालय, थानखम्हरिया	UR-F
23	श्री प्रमोद कुमार साहू आ.श्री कुंजराम साहू ग्राम बोईरडीह पो.माधोपाली तह.सारंगढ़ जिला–रायगढ छ.ग. 496445	शासकीय किशारी मोहन त्रिपाठी महिला महाविद्यालय, रायगढ़	OBC
24	श्री शैलेन्द्र कुमार आ.श्री संतराम वर्मा, वार्ड क 19 पुरानी बस्ती सिल्दा पो–नेवरा,जिला रायपुर छ. ग. 493114	शासकीय गजानन्द अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा	OBC
25	श्री चंदन सिंह राठौर आ.श्री छत्रपाल सिंह राठौर, शिव मंदिर के पास गुरूकृपा ट्रेडर्स रोड किआरा, नगर दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय महाविद्यालय, वाडला	OBC
26	श्रीमती शालिनी वर्मा पति श्री अजय वर्मा c/o श्री आर.के.शर्मा अशुमान एयरटेल टॉवर के पास, सेक्टर 3 दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर छ.ग. 492010	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द	OBC /UR-F
27	किरण कुमारी आ. श्री इंद्रकुमार चंद्राकर, इंद्रकुंज कलवपारा महासमुंद छ.ग. 493445	शासकीय महाविद्यालय, बलौदा जिला महासमुन्द	UR-F

N-2

Scanned with CamScanner

28	श्री जगदीश प्रसाद खटकर आ स्व श्री जोहित राम खटकर, महावीर पार्क मचेवा, हॉउसिंग बोर्ड के पहले, पो.बम्हनी तह.जि.महासमुंद छ.ग. 493445	शासकीय महाविद्यालय, देवभोग	SC
29	शर्मिला रूद्रा आ श्री हराधन रूद्रा आ.क्र. 801/एन कुलटी श्रीपुर रोड बी.एल.आर आफिस के पास थाना कुलटी जिला-- पश्चिम बंगाल 713343	शासकीय नवीन महाविद्यालय, तपकरा	UR-F
30	श्री स्नेयल जोशी आ.श्री कुलेश्वर कुमार जोशी. ग्राम--सौंकरी.पो.पैरी तह.गुण्डरदेही जिला- बालोद छ.ग. 491222	शासकीय महाविद्यालय गुरूर जिला बालोद	SC
31	यतिनंदिनी पटेल पति श्री खेल कुमार पटेल c/o अनुप भटटाचार्य देवनदन नगर,फेस।। सीपत रोड बिलासपुर छ.ग. 495006	शासकीय महाविद्यालय, फास्टरपुर (सेतगंगा)	OBC /UR-F
32	श्री अमित टंडन आ.श्री. गोपीराम टंडन, c/o श्री रामकुमार सोनी एमआईजी 126 ए रिंग डांसगली सेक्टर--3 दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर छ.ग. 492010	शासकीय महाविद्यालय, साजा जिला बेमेतरा	SC
33	सरस्वती देवी बेरवशी आ श्री राधेश्याम बेरवशी, ग्राम--बोरसीभाठा पो.बोरसीकालोनी वार्ड 50 जिला दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेमेतरा	SC-F
34	रोशनी लता राकेश आ श्री सुकदेव प्रसाद राकेश ग्राम पो- कटगी तह कसडोल,जिला--बलौदाबाजार छ.ग 493344	शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार	OBC-F
35	श्री भागवत कुर्रे आ.श्री गणेश कुर्रे, आ.क्र.146 वार्ड--1 ग्राम जालबांधा पो. विजयतला तह.थाना खैरागढ जिला--राजनांदगांव छ.ग.491444	शासकीय महाविद्यालय, मोहला	SC
36	श्री कौशलेश कुमार ध्रुव आ.श्री छन्नूलाल ध्रुव, नवापारा (राजिम) बाम्हदेही ,पारा जागृति चौक तह.अभनपुर जिला रायपुर छ.ग.493881	शासकीय मगरलोड जिला धमतरी	ST
37	श्री संतुराम दर्रो आ.श्री बिदेसिंग दर्रो, ग्राम भर्रीटोला.पो.डोकला तथा.तह.चारामा जिला--उ.ब. कांकेर छ.ग. 494337	शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी--सिहावा	ST
38	जीनत पैकरा आ.श्री जे.एल.पैकरा, लहरे निवास वार्ड क.15 कंकालीन पारा हाईस्कूल के पीछे पो तह.बलौदा जिला--जांजगीरचांपा छ.ग. 495559	शासकीय नवीन महाविद्यालय, हसौद	ST-F
39	हयुमा लिलि दीवान पति श्री उत्तम दीवान, म.न. 123 हाउसिंगबोर्ड कॉलोनी मचेवा जिला--महासमुंद छ.ग.	शास.महा. करतला जिला कोरबा	ST-F
40	प्रमीला साहू आ. स्व श्री संतलाल साहू एचआईजी 10,शिवमंदिर के सामने पं.दीनदयाल पुरम फेस--।। रायगढ़ छ.ग. 496001	शासकीय संत गहिरा गुरू रामेश्वर महाविद्यालय, लैलूंगा	OBC-F
41	श्री तारा सिंह आ.जदुनाथ सिंह ग्राम रकेली पो. जागडीह वि.ख.तह. उदयपुर जिला--सरगुजा छ.ग. 497117	नवीन शासकीय महाविद्यालय, बतौली	ST
42	श्री ललित कुमार लाटिया आ.श्री श्रीराम लाटिया, c/o श्री हंसराज गंडावी आ.क.86 वार्ड 8 सलिहा पारा भानुप्रतापपुर जिला--कांकेर छ.ग. 494669	शासकीय लाल कालिन्द सिंह महाविद्यालय, अंतागढ़	ST
43	श्री भुवनेश्वर सिंह कंवर आ. लक्ष्मण सिंह कंवर, ग्राम आमादहरा पो.सकरेली. थाना चाराद्वारा तह. सक्ती जिला--जांजगीरचांपा छ.ग.495687	शासकीय भानुप्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	ST

Nr 3

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।

2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्युडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण–पत्र वापस कर दिये जायेंगे।

5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी / गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज / रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

6. शासकीय / अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे–मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

8. नियुक्त अभ्यर्थियो के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।

9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंनतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन / भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन / भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

12. इस आदेश मे कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

2/

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भुवनेश यादव)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

पृ.क्र. एफ 1–32/2017/38–1

प्रतिलिपि :–

(1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
(3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
(4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
(5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
(6) स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
(7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
(8) कलेक्टर, जिला .... (छ.ग.)।
(9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1038/22/चयन/17/N दिनांक 31.7.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
(10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
(11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
(12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च. शिक्षा, बिलासपुर/अंबिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.ग.)।
(13) संबंधित प्राचार्य, ... की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका–2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।
(14) जिला कोषालय अधिकारी, जिला .... (छ.ग.)।
(15) संबंधित सर्वश्री.. कृपया अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण पश्चात विभाग को उपलब्ध करावें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(16) आदेश फोल्डर।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Scanned with CamScanner

हिन्दी

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
— — ० — —

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1–34/2017/38–1 :: राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1032/22/चयन/17/C दिनांक 31.7.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600–39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/– में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियुक्त करता है :–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंग आ श्री रामाश्रय सिंह ग्राम रमिलियां पो सरैया नं. 1 थाना –चोलापुर जिला–वाराणसी उ.प्र. 221101	शासकीय महाविद्यालय, राजपुर जिला बलरामपुर	UR
2	श्री कमल सिन्हा आ श्री यशवंत सिन्हा क्लबपारा वार्ड 26 नहर कांसिग के वास महासमुंद छ.ग. 493445	शासकीय महाविद्यालय, तमनार	OBC /UR
3	अर्पणा गौतम आ श्री एस.एस.गौतम एस.ई.सी.एल. आफिस के सामने गणपति कार गैरेज के पारा सीपत रोड सरकण्डा बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर	OBC /UR-F
4	श्री सनत कुमार आ स्व श्री रामा देवांगन, ग्राम पो सल्का नवागांव थाना कोटा, जिला बिलासपुर छ.ग. 495113	नवीन शासकीय महाविद्यालय, साल्हेवारा	UR
5	श्री राजीव यादव आ श्री दशरथ यादव क्वा. 345ई ब्रहमपुत्र छात्रावास जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली 110067	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर	UR
6	नर्मता पाण्डेय आ. श्री प्रवीण पाण्डेय अशोक नगर सत्या मेडिकल स्टोर के सामने गली बिरकोना रोड सरकण्डा बिलासपुर 495001	शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर	UR-F
7	प्रतीमा सिंह आ श्री राम सुहावन सिंह पटेलनगर चौराहा रक्षपालपुर खखरेरू फतेहपुर उ.प्र. 212656	शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, वाड्रफनगर	UR-F
8	श्री दिनेश कुमार संजय आ स्व श्री गंगाराम संजय, मु.पो. चिखली थाना तह.पुसोर जिला रायगढ़ छ.ग. 496100	शास.महावि.खरसिया	SC /UR
9	श्री विनय कुमार देवागंन आ श्री कोदूराम देवांगन म.क्र.6 वार्ड डोंगरीपारा श्रीहनुमान मंदिर कोण्डागांव छ.ग.494226	नवीन शासकीय महाविद्यालय, फरसगांव	OBC /UR
10	पायल लिलहारे पति श्री श्याम मोहन पटेल, 398/4 बजरंग कॉलोनी रेल्वे स्टेशन के पास जबलपुर म.प्र.482001	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़	UR-F
11	विजय लक्ष्मी गौड़ पति. श्री विजेत्री विक्रम सिंह द्वारा श्री अश्विनी ठकराल मोहल्ला कानून गोयान निकट साईमंदिर अमरोहा उ.प्र. 244221	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर	UR-F

Scanned with CamScanner

58	श्री विनय कुमार सनमानी आ श्री साधु साई ग्राम गराईबंध पो.थाना फरसाबहार तह.कांसाबेल जिला– जशपुर छ.ग. 496242	शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर	ST
59	श्री अशोक कुमार नेताम आ श्री सुखराम नेताम, ग्राम पो केरावाही तह.माकड़ी जिला कोण्डागांव छ.ग. 494229	शासकीय अरविन्द महाविद्यालय, किरन्दुल	ST
60	श्री उतरा कुमार सिदार आ श्री बंशीलाल सिदार ग्राम पो कांटा हरदी थाना कोतरा रोड जिला रायगढ़ छ.ग. 496001	शासकीय महाविद्यालय, दुलदुला	ST
61	श्री दीनदयाल दिल्लीवार स्व डॉ तेजराम दिल्लीवार c/o श्री सी.के.बारसागढ़े बाजार चौक सिकोसा तह.गुण्डरदेही जिला बालोद छ.ग. 491222	शास. महाविद्यालय, बेलोदी, जिला– बालोद	OBC-OH
62	श्री बिष्णु राम ठाकुर आ श्री बालाराम ठाकुर ग्राम पो बलोदा तह.सराईपाली जिला–महासमुंद छ.ग. 493558	शासकीय नवीन महाविद्यालय, तपकरा	ST
63	श्री रमेश कुमार खैरवार आ श्री दाता राम खैरवार ग्राम पो. धौरपुर वि.खं.तह.लुण्ड्रा जिला सरगुजा छ.ग. 497101	शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय, रामानुजगंज	ST
64	श्री रधिक कुमार धुव आ श्री ईशर राम ध्रुव ग्राम बोड़रा पो. डाही तह.जिला धमतरी छ.ग. 493773	शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय, कोण्डागांव	ST
65	श्रीमती चम्पा मरकाम पति श्री फरसूराम मरकाम ग्राम पो.तह. माकड़ी प्लॉटपारा जिला कोण्डागांव छ.ग. 494237	नवीन शासकीय महाविद्यालय, फरसगांव	ST-F
66	श्रीमती सुसन्ना लकड़ा पति श्री शैलेन्द्र लकड़ा शिवाजीनगर दलदल सिंवनी विकटेश स्कूल के पास पो.सडडू रायपुर छ.ग. 492007	शासकीय स्व. देवीप्रसाद चौबे महाविद्यालय, गंडई	ST-F
67	श्री जसराम नायक आ श्री देवनाथ नायक ग्राम कोटेरा,पो. सम्बलपुर तह.डौडीलोहारा जिला बालोद छ.ग. 491771	शासकीय धनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद	ST
68	प्रेमा कुमारी कुजूर पति श्री अन्थ्रेस केरकेटटा म. नं.5/584 अयोध्यानगर रिंगरोड 2 नेहरूनगर बिलासपुर छ.ग. 495001	शास.महा. सहसपुर लोहारा जिला कवर्धा	ST-F

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
— — o — —
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1–33/2017/38–1 :: राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1034/22/चयन/17/H दिनांक 31.7.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600–39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/– में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियुक्त करता है :–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री युनुस रजा बेग आ.ईस्लाम बेग, पुलिस थाना लाईन शेख रेडियों सेक्टर के पास कवर्धा जिला– कबीरधाम छ.ग. 491995	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	UR
2	श्री रविकांत जायसवाल आ. श्री बी.पी. जायसवाल,ग्राम अमरपुर पो.पेण्ड्रा जिला–बिलासपुर छ.ग.495119	शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगांव	UR
3	डॉ.प्रियंका सिंह आ श्री शंभूनाथ सिंह इन्द्रपुरी कॉलोनी दिग्विजय स्टेडिम के पीछे एस.बी.टावर के पास राजनांदगांव छ.ग.491441	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	UR-F
4	रजनी मंडल पति स्व.श्री केशव मंडल,बंगाली केम्प पो.किरन्दुल जिला–दंतेवाड़ा 494556	शास.महाविद्यालय, किरंदुल दंतेवाड़ा एवजीदार	UR-F
5	श्री सुयश सिंह आ.श्री राजबहादुर सिंह सी14/4 सिवरिया टाउनशिप म.प्र.पा.ज.कं.लि.कालोनी बीड़मुदी जिला– खंडवा म.प्र. 450110	नवीन शासकीय महाविद्यालय, सरोना	UR
6	श्री प्रशांत साहू आ.श्री भीखमराम साहू एमआईजी183 चतुर्थ फ्लोर ब्लाक 8 हिमाल्या हिगहिस डूमरतराई रायपुर छ.ग. 492015	शासकीय महाविद्यालय, भानपुरी जिला बस्तर	OBC /UR
7	श्री हेमन्त कुमार देशमुख आ. श्री नंदलाल देशमुख केमेस्ट्री प्वांइट क्लास ,गीतादेवी सदन मस्जिदरोड सरस्वती नगर कोटा,रायपुर 492010	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय धरसीवा	OBC /UR
8	मितीशा बैद आ श्री उत्तम चंद बैद वार्ड 31 म.नं. 229 आपापुरा दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	UR-F
9	श्री संदीप कुमार कुशवाहा आ.श्री जगदीश प्रसाद कुशवाहा, एलाइंट इंस्टीट्यूट,बनारस रोड व्यायाम शाला के सामने वाली गली पटेलपारा अंबिकापुर जिला– सरगुजा छ.ग.497001	शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर	OBC /UR

H–1

Scanned with CamScanner

57	योगिता ठाकुर आ. श्री पी.आर ठाकुर उत्तर वसुन्धरा नगर अमदारोड भिलाई 3 दुर्ग छ.ग. 490021	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद	ST-F
58	शशिबाला किन्डो आ श्री पावल किन्डो,कोसानगर बुद्व विहार के पास पी.ओ. नेहरू नगर भिलाई जिला दुर्ग छ.ग. 490020	शासकीय दूधाधारी बजरंग स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रायपुर	ST-F
59	श्री जितेन्द्र कुमार स्वर्णपाल आ श्री तीजराम स्वर्णपाल पं.दीनदयाल उपाध्याय वार्ड मेहता नगर भाटापारा जिला बलौदाबाजार छ.ग. 4931116	शासकीय अरविन्द महाविद्यालय, किरन्दुल	SC

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।

Scanned with CamScanner

9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंनतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता हैं कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भुवनेश यादव)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

पृ.क्र. एफ 1–11/2017/38–1
प्रतिलिपि :–

(1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
(3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
(4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
(5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
(6) स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
(7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
(8) कलेक्टर, जिला .... (छ.ग.)।
(9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक
दिनांक 31.7.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
1034/22/चयन/17/H दिनांक 31.7.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
(10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
(11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
(12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अंबिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.ग.)।
(13) संबंधित प्राचार्य, ... की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के

M. H-6

Scanned with CamScanner

पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका–2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।

(14) जिला कोषालय अधिकारी, जिला .... (छ.ग.)।

(15) संबंधित सर्वश्री.. कृपया अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण पश्चात विभाग को उपलब्ध करावें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(16) आदेश फोल्डर।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

H- 7

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
— — ० — —

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 18/06/2018

क्रमांक एफ 1–25/2014/38–1 :: राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र) के पद हेतु अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक(वनस्पति शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600–39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/— में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री तुलसीराम राहंगडाले,पिता श्री उरकोड़ी लाल राहंगडाले, ग्राम.पो. लिंगा,तह.बैहर, बालाघाट (म.प्र.)481556	शासकीय रेवती रमन मिश्रा महाविद्यालय, सूरजपुर	UR
2	वंदना धन्डोरे–पता साहू सदन के पास केलाबाड़ी, पो.कसारीडीह, तह.जिला– दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्ता स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद	UR
3	श्री राजीव कुमार पाणीग्राही,आ श्री नंदकुमार पाणीग्राही, ग्राम पोस्ट आसना, तह.जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.)494221	शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा	UR
4	श्री मंजूषा शर्मा, कोठारी इन्टीटयूट,फ्लेट नं.1 आरएसबी टावर,आनंद हॉटल के पीछे बिलासपुर (छ.ग.) 495001	शासकीय राजीवगांधी कला /वाणिज्य महाविद्यलय, लोरमी	UR

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण–पत्र वापस कर दिये जायेंगे।

.........................2

प्रा० प्र.ता. 21.06.18

Scanned with CamScanner

5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा।संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे–मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।

9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंनतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता हैं कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर) 17/7

(दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

.........................3

Scanned with CamScanner

नया रायपुर, दिनांक 18/06/2018

पृ.क्र.एफ 1–25/2014/38–1
प्रतिलिपि :–

(1) मान. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर
(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
(3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
(4) मुख्य सचिव के उप सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
(5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
(6) निज सचिव,सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
(7) उप सचिव, छ.ग.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष–3 मंत्रालय, नया रायपुर की ओर यू.ओ.क्र.258 दिनांक 4.5.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
(8) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
(9) संबंधित कलेक्टर, जिला –सूरजपुर/बालोद/दंतेवाड़ा/लोरमी (छ.ग.)।
(10) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 2521 /95/2010/चयन, रायपुर, दिनांक 6.2.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
(11) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
(12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, जगदलपुर/दुर्ग/अंबिकापुर (छ.ग.)
(13) संबंधित प्राचार्य, ... की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका–2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें तथा शपथ पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करावें।
(14) संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, ...(छ.ग.)।
(15) संबंधित श्री ....
....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(16) आदेश फोल्डर।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य(अग्रणी), शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.),
वेबसाइट– www.govtcollbalod.ac.in, ईमेल– govtcollbalod@rediffmail.com

क्रमांक–1322/10/अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021 बालोद, दिनांक– 2)/02/2021

प्रति,

[illegible]

विषय :– अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रण।

संदर्भ:– 1. उपसचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक एफ–3–32/2020/38–1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22/01/2021 ।

2. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 339/निस/आउशि/2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/02/2021 ।

==00==

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के परिपालन में इस महाविद्यालय में सत्र 2020–21 के लिए अतिथि व्याख्याता के रूप में ....[illegible]............विषय में अध्यापन कार्य करने हेतु आपको आमंत्रित किया गया है। अतः आप आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक से 02 मार्च 2021 तक महाविद्यालय में आवेदन पत्र, न्यायालयीन आदेश **एवं नीचे कंडिका 05 में दर्शित शपथ–पत्र के साथ** अपनी उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण–पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाये जाने पर एवं अपात्र पाये जाने पर यह आमंत्रण स्वमेव निरस्त हो जावेगा :–

1 यह आमंत्रण सत्र 2020–21 में अध्यापन कार्य जारी रहने तक लागू रहेगी, लेकिन महाविद्यालय में शासन द्वारा अन्य किसी प्रकार की नियुक्ति/पदांकन होने पर अतिथि व्याख्याता की यह व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

2 अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नही बनेगी और न ही अधिमानिक बर्ताव (Preferention Treatment) के हकदार होंगे। अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेंगें और वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नही माने जायेंगे।

3 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु रिक्त पदो के विरूद्ध प्रति व्याख्यान के लिए रूपये 200/– (रू. दो सौ मात्र) प्रतिदिन रूपये 800/– (रू. आठ सौ मात्र) तथा प्रतिमाह रूपये 20800/– (रू. बीस हजार आठ सौ मात्र) की सीलिंग के अधीन होगा, पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा।

4 महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगें।

5 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु महाविद्यालय में उपस्थिति के साथ ही इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। साथ ही यह भी कि किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नही है तथा अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नही कर रहा है।

Scanned with CamScanner

6 सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नही दी ज किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्य अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डो के उपरांत ही अवैतनिक कर सकेंगें।

7. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घंटे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के लगे अनुपस्थित रहने पर आपके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

8. महाविद्यालय में यदि आपके विरूद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शिकायत या अनुशासनहीनता, जॉच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।

9. यह नियुक्ति शासन के निर्देशानुसार आगामी आदेश तक रहेगी।

10. उपरोक्त व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन होगी।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

प्राचार्य
शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद

PRINCIPAL
Government Ghanshyam Singh Gupt
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)

पृष्ठां. कमांक–1323/10/अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021 बालोद, दिनांक – 25/02/2021

प्रतिलिपि–

1 अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

2 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, खण्ड सी 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

3 कलेक्टर, जिला कार्यालय बालोद, को सूचनार्थ।

4. स्थापना / लेखा शाखा, शासकीय महाविद्यालय बालोद (छ.ग.)।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

01 25.2.21

प्राचार्य
शासकीय पी.जी. महाविद्यालय बालोद
बालोद (छ.ग.)

PRINCIPAL
Government Ghanshyam Singh Gupt
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य(अग्रणी), शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.),
वेबसाइट– www.govtcollbalod.ac.in, ईमेल– govtcollbalod@rediffmail.com

क्रमांक– 1322/6 / अति.व्याख्याता / आमंत्रण / 2021 बालोद, दिनांक– 25 / 02 / 2021

प्रति,

कु. पूजा मिश्रा
D/O शिव कुमार मिश्रा
[illegible]
[illegible] डौण्डीलोहारा (छ.ग.)

विषय :– अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रण।

संदर्भ:– 1. उपसचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक एफ–3–32 / 2020 / 38–1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22 / 01 / 2021 ।

2. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 339 / निस / आउशि / 2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23 / 02 / 2021 ।

==00==

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के परिपालन में इस महाविद्यालय में सत्र 2020–21 के लिए अतिथि व्याख्याता के रूप में ......[illegible]...... विषय में अध्यापन कार्य करने हेतु आपको आमंत्रित किया गया है। अतः आप आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक से 02 मार्च 2021 तक महाविद्यालय में आवेदन पत्र, न्यायालयीन आदेश **एवं नीचे कंडिका 05 में दर्शित शपथ–पत्र के साथ** अपनी उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण–पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाये जाने पर एवं अपात्र पाये जाने पर यह आमंत्रण स्वमेव निरस्त हो जावेगा :–

1 यह आमंत्रण सत्र 2020–21 में अध्यापन कार्य जारी रहने तक लागू रहेगी, लेकिन महाविद्यालय में शासन द्वारा अन्य किसी प्रकार की नियुक्ति / पदांकन होने पर अतिथि व्याख्याता की यह व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

2 अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नही बनेगी और न ही अधिमानिक बर्ताव (Preferention Treatment) के हकदार होंगे। अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेंगें और वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नही माने जायेंगे।

3 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु रिक्त पदो के विरूद्ध प्रति व्याख्यान के लिए रूपये 200 / – (रू. दो सौ मात्र) प्रतिदिन रूपये 800 / – (रू. आठ सौ मात्र) तथा प्रतिमाह रूपये 20800 / – (रू. बीस हजार आठ सौ मात्र) की सीलिंग के अधीन होगा, पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा।

4 महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगें।

5 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु महाविद्यालय में उपस्थिति के साथ ही इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। साथ ही यह भी कि किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशासकीय सेवा में नही है तथा अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नही कर रहा है।

Scanned with CamScanner

6 सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नही दी जाके किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डो के उपरांत ही अवैतनिक क कर सकेंगें।

7. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घंटे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के लगाता अनुपस्थित रहने पर आपके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

8. महाविद्यालय में यदि आपके विरूद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शिकाय या अनुशासनहीनता, जॉच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।

9. यह नियुक्ति शासन के निर्देशानुसार आगामी आदेश तक रहेगी।

10. उपरोक्त व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन होगी।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

PRINCIPAL
Government Ghanshyam Singh Gupt
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)
शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद

पृष्ठां. क्रमांक–1323/6 /अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021 बालोद, दिनांक – 25/02/2021

प्रतिलिपि–

1 अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

2 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, खण्ड सी 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

3 कलेक्टर, जिला कार्यालय बालोद, को सूचनार्थ।

4. स्थापना / लेखा शाखा, शासकीय महाविद्यालय बालोद (छ.ग.)।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

PRINCIPAL 25-2-21
Government Ghanshyam Singh Gupt
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)
शासकीय जी.एस.जी. पी.जी. महाविद्यालय बालोद

E:\Gest Lectur\ Gest Lectur - Memo & Latter

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य(प्रभारी), शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.),
वेबसाइट- www.ggscollegebalod.ac.in, ईमेल- ggscollegebalod@rediffmail.com

क्रमांक-1327/अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021 बालोद, दिनांक- 25/01/2021

प्रति,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

विषय :- अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रण।

संदर्भ:- 1. कार्यालय, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक एफ-3-40/2020/38-1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12/01/2021।

2. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 126/[illegible]/अति.शि./2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 21/01/2021।

PRINCIPAL
Govt. Ghanshyam Singh Gupt
P.G. College Balod Dist. Balod (C.G.)

---00---

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के परिपालन में इस महाविद्यालय में सत्र 2020-21 के लिए अतिथि व्याख्याता के रूप में ....[illegible].......... विषय में अध्यापन कार्य करने हेतु आपको आमंत्रित किया गया है। अतः आप आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक से 12 मार्च 2021 तक महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। मूल प्रमाण-पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाये जाने पर यह आमंत्रण स्वमेव निरस्त हो जावेगा :-

1. यह आमंत्रण सत्र 2020-21 में अध्यापन कार्य जारी रहने तक लागू रहेगी, लेकिन महाविद्यालय में शासन द्वारा अन्य किसी प्रकार की नियुक्ति/पदांकन होने पर अतिथि व्याख्याता की व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

2. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानिक बर्ताव (Preferention Treatment) के हकदार होंगे। अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।

3. अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु रिक्त पदों के विरूद्ध प्रति व्याख्यान के लिए रूपये 200/- (रू. दो सौ मात्र) प्रतिदिन रूपये 800/- (रू. आठ सौ मात्र) तथा प्रतिमाह रूपये 20800/- (रू. बीस हजार आठ सौ मात्र) की सीलिंग के अधीन होगा, पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा।

4. महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे।

5. अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु महाविद्यालय में उपस्थिति के साथ ही इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही यह भी कि किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है तथा अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नहीं कर रहा है।

Scanned with CamScanner

6 सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नही दी किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभाग अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डो के उपरांत ही अवैतनिक कर सकेंगें।

7. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घंटे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के ल अनुपस्थित रहने पर आपके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

8. महाविद्यालय में यदि आपके विरूद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शिकाय या अनुशासनहीनता, जॉच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त कर का अधिकार होगा।

9. यह नियुक्ति शासन के निर्देशानुसार आगामी आदेश तक रहेगी।

10. उपरोक्त व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन होगी।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

PRINCIPAL
शासकीय Government Ghanshyam Singh Gupt बालोद
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)

पृष्ठां. कमांक–1323/7/अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021 बालोद, दिनांक – 25/02/2021

प्रतिलिपि–

1 अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

2 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, खण्ड सी 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

3 कलेक्टर, जिला कार्यालय बालोद, को सूचनार्थ।

4. स्थापना / लेखा शाखा, शासकीय महाविद्यालय बालोद (छ.ग.) ।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

PRINCIPAL 25.2.21
शासकीय जी.एस.जी. पी.जी. महाविद्यालय बालोद
Government Ghanshyam Singh Gupt
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)

E:\Gest Lectur\ Gest Lectur - Memo & Latter

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य(अग्रणी), शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.),
वेबसाइट– www.govtcollbalod.ac.in, ईमेल– govtcollbalod@rediffmail.com

कमांक–1322/3/अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021 बालोद, दिनांक–25/02/2021

प्रति,

[illegible]
[illegible]
क्वार्टर नं 25 सड़क 14(A)
शांति नगर रिसाली भिलाई

विषय :– अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रण।

संदर्भ:– 1. उपसचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र कमांक एफ–3–32/2020/38–1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22/01/2021 ।

2. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के पत्र कमांक 339/निस/आउशि/2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/02/2021 ।

PRINCIPAL Government Ghanshyam Singh Gupt P.G. College, Dist. Balod (C.G.)

==00==

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के परिपालन में इस महाविद्यालय में सत्र 2020–21 के लिए अतिथि व्याख्याता के रूप में ......अंग्रेजी......विषय में अध्यापन कार्य करने हेतु आपको आमंत्रित किया गया है। अतः आप आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक से 02 मार्च 2021 तक महाविद्यालय में आवेदन पत्र, न्यायालयीन आदेश **एवं नीचे कंडिका 05 में दर्शित शपथ–पत्र के साथ** अपनी उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण–पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाये जाने पर एवं अपात्र पाये जाने पर यह आमंत्रण स्वमेव निरस्त हो जावेगा :–

1 यह आमंत्रण सत्र 2020–21 में अध्यापन कार्य जारी रहने तक लागू रहेगी, लेकिन महाविद्यालय में शासन द्वारा अन्य किसी प्रकार की नियुक्ति/पदांकन होने पर अतिथि व्याख्याता की यह व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

2 अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नही बनेगी और न ही अधिमानिक बर्ताव (Preferention Treatment) के हकदार होंगे। अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेंगें और वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नही माने जायेंगे।

3 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु रिक्त पदो के विरूद्ध प्रति व्याख्यान के लिए रूपये 200/– (रू. दो सौ मात्र) प्रतिदिन रूपये 800/– (रू. आठ सौ मात्र) तथा प्रतिमाह रूपये 20800/– (रू. बीस हजार आठ सौ मात्र) की सीलिंग के अधीन होगा, पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा।

4 महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगें।

5 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु महाविद्यालय में उपस्थिति के साथ ही इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। साथ ही यह भी कि किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नही है तथा अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नही कर रहा है।

Scanned with CamScanner

6 सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नही दी जावे, किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डो के उपरांत ही अवैतनिक क कर सकेंगें।

7. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घंटे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के लगात अनुपस्थित रहने पर आपके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

8. महाविद्यालय में यदि आपके विरूद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शिकाय या अनुशासनहीनता, जॉच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त क का अधिकार होगा।

9. यह नियुक्ति शासन के निर्देशानुसार आगामी आदेश तक रहेगी।

10. उपरोक्त व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन होगी।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

PRINCIPAL
प्राचार्य,
Government Ghanshyam Singh Gupta
शासकीय घ.सि.गु. पी.जी. महाविद्यालय बालोद
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)
जिला– बालोद (छ.ग.)

पृष्ठां. कमांक– 1323/3/अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021 बालोद, दिनांक – 25/02/2021

प्रतिलिपि–

1 अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

2 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, खण्ड सी 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

3 कलेक्टर, जिला कार्यालय बालोद, को सूचनार्थ।

4. स्थापना / लेखा शाखा, शासकीय महाविद्यालय बालोद (छ.ग.) ।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

PRINCIPAL 25.2.21
प्राचार्य
Government Ghanshyam Singh Gupta
शासकीय जी.एस.जी. पी.जी. महाविद्यालय बालोद
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)
जिला– बालोद

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य(अग्रणी), शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.),
वेबसाइट– www.govtcollbalod.ac.in, *ईमेल*– govtcollbalod@rediffmail.com

क्रमांक– 1322/1 / अति.व्याख्याता / आमंत्रण / 2021 बालोद, दिनांक– 25 / 02 / 2021

प्रति,

कु. रीता जैन
डॉ श्री चन्द्रकुमार जैन
कुम्हारपारा बालोद
(छ.ग.)

विषय :– अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रण।

संदर्भ:– 1. उपसचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक एफ–3–32 / 2020 / 38–1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22 / 01 / 2021 ।

2. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 339 / निस / आउशि / 2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23 / 02 / 2021 ।

==00==

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के परिपालन में इस महाविद्यालय में सत्र 2020–21 के लिए अतिथि व्याख्याता के रूप में ....वाणिज्य..........विषय में अध्यापन कार्य करने हेतु आपको आमंत्रित किया गया है। अतः आप आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक से 02 मार्च 2021 तक महाविद्यालय में आवेदन पत्र, न्यायालयीन आदेश **एवं नीचे कंडिका 05 में दर्शित शपथ–पत्र के साथ** अपनी उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण–पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाये जाने पर एवं अपात्र पाये जाने पर यह आमंत्रण स्वमेव निरस्त हो जावेगा :–

1 यह आमंत्रण सत्र 2020–21 में अध्यापन कार्य जारी रहने तक लागू रहेगी, लेकिन महाविद्यालय में शासन द्वारा अन्य किसी प्रकार की नियुक्ति / पदांकन होने पर अतिथि व्याख्याता की यह व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

2 अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नही बनेगी और न ही अधिमानिक बर्ताव (Preferention Treatment) के हकदार होंगे। अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेंगें और वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नही माने जायेंगे।

3 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु रिक्त पदो के विरूद्ध प्रति व्याख्यान के लिए रूपये 200 / – (रू. दो सौ मात्र) प्रतिदिन रूपये 800 / – (रू. आठ सौ मात्र) तथा प्रतिमाह रूपये 20800 / – (रू. बीस हजार आठ सौ मात्र) की सीलिंग के अधीन होगा, पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा।

4 महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगें।

5 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु महाविद्यालय में उपस्थिति के साथ ही इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। साथ ही यह भी कि किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशासकीय सेवा में नही है तथा अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नही कर रहा है।

Scanned with CamScanner

6 सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नही दी किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभागा अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डो के उपरांत ही अवैतनिक कर सकेंगें।

7. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घंटे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के ल अनुपस्थित रहने पर आपके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

8. महाविद्यालय में यदि आपके विरूद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यो में किसी प्रकार की शिकाय या अनुशासनहीनता, जॉच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त कर का अधिकार होगा।

9. यह नियुक्ति शासन के निर्देशानुसार आगामी आदेश तक रहेगी।

10. उपरोक्त व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन होगी।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

PRINCIPAL
शासकीय जी.एस.जी. महाविद्यालय बालोद
Government Ghanshyam Singh Gupt
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)

पृष्ठां. कमांक– 1323/1 / अति.व्याख्याता / आमंत्रण / 2021 बालोद, दिनांक – 25 /02/2021

प्रतिलिपि–

1 अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

2 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, खण्ड सी 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

3 कलेक्टर, जिला कार्यालय बालोद, को सूचनार्थ।

4. स्थापना / लेखा शाखा, शासकीय महाविद्यालय बालोद (छ.ग.) ।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

प्राचार्य 25-2-21
शासकीय जी.एस.जी. महाविद्यालय बालोद
PRINCIPAL
Government Ghanshyam Singh Gupt
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य(अग्रणी), शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.),

वेबसाईट– www.govtcollbalod ईमेल– govtcollbalod@rediffmail.com

क्रमांक– 1525/अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2020–21 बालोद, दिनांक– 27/03/2021

प्रति,

श्री वीरेन्द्र कुमार
आ. श्री देवप्रसाद
ग्राम – [illegible] लाटाबोड़
जिला बालोद (छ.ग.)

विषय :– अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रण।

संदर्भ :– 1. अवर सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ–4–2/2013/38–1, रायपुर दिनांक 13/07/2018 एवं उच्च षिक्षा विभाग के विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.07.2012, 16.07.2013, 03.07.2014, 14.07.2015, 30.05.2015, 20.12.2016, 01.07.2017 ।

2. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 255/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2014, दिनांक 18/07/2014 ।

3. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक एफ 3–32/2020/38–1, नवा रायपुर, दिनांक 22/02/2021 ।

4. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक एफ 339/निस/आउशि/2021, नवा रायपुर, दिनांक 23/02/2021 ।

==00==

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर इस महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में ....इतिहास........ विषय में अध्यापन कार्य करने हेतु आपका चयन किया गया है। अतः आप आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक से 05 दिनों के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण के साथ एक–एक फोटोकॉपी एवं नीचे कंडिका 05 में दर्शित शपथ–पत्र के साथ अपनी उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण–पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाये जाने पर एवं अपात्र पाये जाने पर यह आमंत्रण स्वमेव निरस्त हो जावेगा :–

1 यह आमंत्रण 31 जुलाई 2021 तक अथवा आगामी आदेश तक (जो भी पहले हो) अध्यापन के लिए है, लेकिन महाविद्यालय में शासन द्वारा अन्य किसी प्रकार की नियुक्ति/पदांकन होने पर अतिथि व्याख्याता की यह व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

2 अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नही बनेगी और न ही अधिमानिक बर्ताव (Preferention Treatment) के हकदार होंगे। अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेंगें और वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नही माने जायेंगे।

3 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु रिक्त पदो के विरूद्ध 40/45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए रूपये 200/– (रू. दो सौ मात्र) एवं प्रतिदिन रूपये 800/– (रू. आठ सौ मात्र) तथा

Scanned with CamScanner

प्रतिमाह रूपये 20800/- (रू. बीस हजार आठ सौ मात्र) की सीलिंग के अधीन पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा।

4 महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्रा विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगें।

5 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु महाविद्यालय में उपस्थिति के साथ ही इस आ शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आप प्रकरण विचाराधीन नही है। साथ ही यह भी कि किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशास अशासकीय सेवा में नही है।

6 अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नही कर सकेगा।

7 सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नही दी जा किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डो के उपरांत ही अवैतनिक कर सकेंगें।

8. महाविद्यालय में 07 घंटे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा।

9. महाविद्यालय में यदि आपके विरूद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शिका जॉच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

27.3.21
प्राचार्य / Principal
शासकीय घ.शि.एस.जी. महाविद्यालय बालोद / Govt. College Balod
जिला – बालोद (छ.ग.) / Distt. Balod (C.G.)

पृष्ठां. कमांक– 1526/अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021 बालोद, दिनांक –27/03/2021
प्रतिलिपि–

1. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, खण्ड सी 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला कार्यालय बालोद, को सूचनार्थ।
4. स्थापना / लेखा शाखा, शासकीय महाविद्यालय बालोद (छ.ग.) ।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

27.3.21
प्राचार्य / Principal
शासकीय घ.शि.एस.जी. महाविद्यालय बालोद / Govt. College Balod
O/C जिला – बालोद (छ.ग.) / Distt. Balod (C.G.)

E\Gest Lectur\ Gest Lectu...

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य(अग्रणी), शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.),

वेबसाईट– www.govtcollbalod ईमेल– govtcollbalod@rediffmail.com

क्रमांक– 1495 / अति.व्याख्याता / आमंत्रण / 2020–21 बालोद, दिनांक– 22 / 03 / 2021

प्रति,

श्री [illegible] साहू Mob 9667382118

C/o श्री [illegible] साहू

[illegible] बालोद (छ.ग.)

....

विषय :– अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रण।

संदर्भ :– 1. अवर सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ–4–2 / 2013 / 38–1, रायपुर दिनांक 13 / 07 / 2018 एवं उच्च षिक्षा विभाग के विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.07.2012, 16.07.2013, 03.07.2014, 14.07.2015, 30.05.2015, 20.12.2016, 01.07.2017 ।

2. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 255 / 243 / आउशि / अतिथि व्याख्याता / 2014, दिनांक 18 / 07 / 2014 ।

3. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक एफ 3–32 / 2020 / 38–1, नवा रायपुर, दिनांक 22 / 02 / 2021 ।

4. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक एफ 339 / निस / आउशि / 2021, नवा रायपुर, दिनांक 23 / 02 / 2021 ।

==00==

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर इस महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में ....[illegible]........ विषय में अध्यापन कार्य करने हेतु आपका चयन किया गया है। अतः आप आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक से 05 दिनों के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण के साथ एक–एक फोटोकॉपी एवं नीचे कंडिका 05 में दर्शित शपथ–पत्र के साथ अपनी उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण–पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाये जाने पर एवं अपात्र पाये जाने पर यह आमंत्रण स्वमेव निरस्त हो जावेगा :–

1. यह आमंत्रण 31 जुलाई 2021 तक अथवा आगामी आदेश तक (जो भी पहले हो) अध्यापन के लिए है, लेकिन महाविद्यालय में शासन द्वारा अन्य किसी प्रकार की नियुक्ति / पदांकन होने पर अतिथि व्याख्याता की यह व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
2. अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नही बनेगी और न ही अधिमानिक बर्ताव (Preferention Treatment) के हकदार होंगे। अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेंगें और वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नही माने जायेंगे।
3. अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु रिक्त पदो के विरूद्ध 40 / 45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए रूपये 200 / – (रू. दो सौ मात्र) एवं प्रतिदिन रूपये 800 / – (रू. आठ सौ मात्र) तथा

Scanned with CamScanner

प्रतिमाह रूपये 20800/- (रू. बीस हजार आठ सौ मात्र) की सीलिंग के अ
पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा।

4 महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा
विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगें।

5 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु महाविद्यालय में उपस्थिति के साथ ही इस
शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अ
प्रकरण विचाराधीन नही है। साथ ही यह भी कि किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशा
अशासकीय सेवा में नही है।

6 अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नही कर सकेगा।

7 सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नही दी ज
किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्य
अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डो के उपरांत ही अवैतनिक
कर सकेंगें।

8. महाविद्यालय में 07 घंटे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा।

9. महाविद्यालय में यदि आपके विरूद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शिका
जॉच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

प्राचार्य
शासकीय जी.एस.जी. पी.जी. महाविद्यालय बालोद
जिला- बालोद (छ.ग.)
Principal
Govt. College, Balod
Distt. Balod (C.G.)

पृष्ठां. कमांक- 1496 /अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021
प्रतिलिपि-

बालोद, दिनांक - 22/03/2021

1 अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, खण्ड सी 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3 कलेक्टर, जिला कार्यालय बालोद, को सूचनार्थ।
4. स्थापना / लेखा शाखा, शासकीय महाविद्यालय बालोद (छ.ग.)।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

प्राचार्य
शासकीय जी.एस.जी. पी.जी. महाविद्यालय बालोद
जिला- बालोद (छ.ग.)
Principal
Govt. College, Balod
Distt. Balod (C.G.)
22.3.21

E\Gest Lectur\ Gest Lectur - Memo & Latter

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य(अग्रणी), शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.),
वेबसाइट– www.govtcollbalod ईमेल– govtcollbalod@rediffmail.com

कमांक– /अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2020–21 बालोद, दिनांक– /03/2021

प्रति,

रुचिता 7039461516
पिता श्री कन्हैयालाल
वार्ड क्र 54 आजादपारा
पोटियाकला दुर्ग (छ.ग.)

विषय :– अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रण।

संदर्भ :– 1. अवर सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ–4–2/2013/38–1, रायपुर दिनांक 13/07/2018 एवं उच्च षिक्षा विभाग के विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.07.2012, 16.07.2013, 03.07.2014, 14.07.2015, 30.05.2015, 20.12.2016, 01.07.2017 ।

2. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय रायपुर (छ.ग.) के पत्र कमांक 255/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2014, दिनांक 18/07/2014 ।

3. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय रायपुर (छ.ग.) के पत्र कमांक एफ 3–32/2020/38–1, नवा रायपुर, दिनांक 22/02/2021 ।

4. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय रायपुर (छ.ग.) के पत्र कमांक एफ 339/निस/आउशि/2021, नवा रायपुर, दिनांक 23/02/2021 ।

==00==

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर इस महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में ......वाणिज्य...... विषय में अध्यापन कार्य करने हेतु आपका चयन किया गया है। अतः आप आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक से 05 दिनों के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण के साथ एक–एक फोटोकॉपी एवं नीचे कंडिका 06 में दर्शित शपथ–पत्र के साथ अपनी उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण–पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाये जाने पर एवं अपात्र पाये जाने पर यह आमंत्रण स्वमेव निरस्त हो जावेगा :–

1 यह आमंत्रण 31 जुलाई 2021 तक अथवा आगामी आदेश तक (जो भी पहले हो) अध्यापन के लिए है, लेकिन महाविद्यालय में शासन द्वारा अन्य किसी प्रकार की नियुक्ति/पदांकन होने पर अतिथि व्याख्याता की यह व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

2 अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नही बनेगी और न ही अधिमानिक बर्ताव (Preferention Treatment) के हकदार होंगे। अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेंगें और वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नही माने जायेंगे।

3 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु रिक्त पदो के विरूद्ध 40/45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए रूपये 200/– (रू. दो सौ मात्र) एवं प्रतिदिन रूपये 800/– (रू. आठ सौ मात्र) तथा

Scanned with CamScanner

प्रतिमाह रूपये 20800/- (रू. बीस हजार आठ सौ मात्र) की सीलिंग के अधीन पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा।

4 महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगें।

5 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु महाविद्यालय में उपस्थिति के साथ ही इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। साथ ही यह भी कि किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नही है।

6 अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नही कर सकेगा।

7 सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नही दी जावेगी। किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डो के उपरांत ही अवैतनिक कार्य कर सकेंगें।

8. महाविद्यालय में 07 घंटे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा।

9. महाविद्यालय में यदि आपके विरूद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शिकायत जॉच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

प्राचार्य
शासकीय जी.एन.जी.पी.जी. महाविद्यालय बालोद
जिला-बालोद (छ.ग.)

Principal
Govt. College, Balod
Distt. Balod (C.G.)

पृष्ठां. कमांक-1538/अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021
प्रतिलिपि-

बालोद, दिनांक - 31/03/2021

1 अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, खण्ड सी 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3 कलेक्टर, जिला कार्यालय बालोद, को सूचनार्थ।
4. स्थापना / लेखा शाखा, शासकीय महाविद्यालय बालोद (छ.ग.)।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

प्राचार्य
शासकीय जी.एन.जी.पी.जी. महाविद्यालय बालोद
जिला- बालोद (छ.ग.)

Principal
Govt. College, Balod
Distt. Balod (C.G.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य(अग्रणी), शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.),
वेबसाइट– www.govtcollbalod.ac.in, *ईमेल*– govtcollbalod@rediffmail.com

क्रमांक–1322/9/अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021 बालोद, दिनांक–25/02/2021

प्रति,

डॉ. ....
....
....
....

विषय :– अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रण।

संदर्भः– 1. उपसचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक एफ–3–32/2020/38–1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22/01/2021 ।

2. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 339/निस/आउशि/2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/02/2021 ।

==00==

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के परिपालन में इस महाविद्यालय में सत्र 2020–21 के लिए अतिथि व्याख्याता के रूप में ....विषय में अध्यापन कार्य करने हेतु आपको आमंत्रित किया गया है। अतः आप आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक से 02 मार्च 2021 तक महाविद्यालय में आवेदन पत्र, न्यायालयीन आदेश **एवं नीचे कंडिका 05 में दर्शित शपथ–पत्र के साथ** अपनी उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण–पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाये जाने पर एवं अपात्र पाये जाने पर यह आमंत्रण स्वमेव निरस्त हो जावेगा :–

1 यह आमंत्रण सत्र 2020–21 में अध्यापन कार्य जारी रहने तक लागू रहेगी, लेकिन महाविद्यालय में शासन द्वारा अन्य किसी प्रकार की नियुक्ति/पदांकन होने पर अतिथि व्याख्याता की यह व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

2 अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नही बनेगी और न ही अधिमानिक बर्ताव (Preferention Treatment) के हकदार होंगे। अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेंगें और वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नही माने जायेंगे।

3 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु रिक्त पदो के विरूद्ध प्रति व्याख्यान के लिए रूपये 200/– (रू. दो सौ मात्र) प्रतिदिन रूपये 800/– (रू. आठ सौ मात्र) तथा प्रतिमाह रूपये 20800/– (रू. बीस हजार आठ सौ मात्र) की सीलिंग के अधीन होगा, पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा।

4 महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगें।

5 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु महाविद्यालय में उपस्थिति के साथ ही इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। साथ ही यह भी कि किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नही है तथा अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नही कर रहा है।

Scanned with CamScanner

6 सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नही किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित वि अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डो के उपरांत ही अवै कर सकेंगें।

7. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घंटे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहने पर आपके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

8. महाविद्यालय में यदि आपके विरूद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यों में किसी प्रकार की या अनुशासनहीनता, जॉच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा स का अधिकार होगा।

9. यह नियुक्ति शासन के निर्देशानुसार आगामी आदेश तक रहेगी।

10. उपरोक्त व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन

प्राचार्य,
शासकीय जी.एस.जी. पी.जी. महाविद्यालय बा
जिला– बालोद (छ.ग.)

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

पृष्ठां. कमांक– 1323/9 /अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021 बालोद, दिनांक – 25/02/2

प्रतिलिपि–

1 अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, खण्ड सी 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्र भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3 कलेक्टर, जिला कार्यालय बालोद, को सूचनार्थ।
4. स्थापना / लेखा शाखा, शासकीय महाविद्यालय बालोद (छ.ग.) ।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

25.2.21
प्राचार्य,
शासकीय जी.एस.जी. पी.जी. महाविद्यालय बालोद
जिला– बालोद (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य(अग्रणी), शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.),
वेबसाइट– www.govtcollbalod.ac.in, ईमेल– govtcollbalod@rediffmail.com

क्रमांक–1322/4/अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021 बालोद, दिनांक–25/02/2021

प्रति,

[illegible]

विषय :– अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रण।

संदर्भः– 1. उपसचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक एफ–3–32/2020/38–1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22/01/2021 ।

2. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 339/निस/आउशि/2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/02/2021 ।

==00==

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के परिपालन में इस महाविद्यालय में सत्र 2020–21 के लिए अतिथि व्याख्याता के रूप में ....[illegible]........विषय में अध्यापन कार्य करने हेतु आपको आमंत्रित किया गया है। अतः आप आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक से 02 मार्च 2021 तक महाविद्यालय में आवेदन पत्र, न्यायालयीन आदेश **एवं नीचे कंडिका 05 में दर्शित शपथ–पत्र के साथ** अपनी उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण–पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाये जाने पर एवं अपात्र पाये जाने पर यह आमंत्रण स्वमेव निरस्त हो जावेगा :–

1 यह आमंत्रण सत्र 2020–21 में अध्यापन कार्य जारी रहने तक लागू रहेगी, लेकिन महाविद्यालय में शासन द्वारा अन्य किसी प्रकार की नियुक्ति/पदांकन होने पर अतिथि व्याख्याता की यह व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

2 अतिथि व्यांख्याता के रूप में आपकी सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नही बनेगी और न ही अधिमानिक बर्ताव (Preferention Treatment) के हकदार होंगे। अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेंगें और वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नही माने जायेंगे।

3 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु रिक्त पदो के विरूद्ध प्रति व्याख्यान के लिए रूपये 200/– (रू. दो सौ मात्र) प्रतिदिन रूपये 800/– (रू. आठ सौ मात्र) तथा प्रतिमाह रूपये 20800/– (रू. बीस हजार आठ सौ मात्र) की सीलिंग के अधीन होगा, पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा।

4 महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगें।

5 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु महाविद्यालय में उपस्थिति के साथ ही इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। साथ ही यह भी कि किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नही है तथा अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नही कर रहा है।

Scanned with CamScanner

6 सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नही किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित वि अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डो के उपरांत ही अवै कर सकेंगें।

7. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घंटे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर आपके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

8. महाविद्यालय में यदि आपके विरूद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शि या अनुशासनहीनता, जॉच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त का अधिकार होगा।

9. यह नियुक्ति शासन के निर्देशानुसार आगामी आदेश तक रहेगी।

10. उपरोक्त व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन होगी

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

PRINCIPAL
शासकीय ... महाविद्यालय बालोद
Government Ghanshyam Singh Gupt
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)

पृष्ठां. कमांक– 1323/4 / अति.व्याख्याता / आमंत्रण / 2021 बालोद, दिनांक – 25 / 02 / 2021

प्रतिलिपि–

1 अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

2 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, खण्ड सी 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

3 कलेक्टर, जिला कार्यालय बालोद, को सूचनार्थ।

4. स्थापना / लेखा शाखा, शासकीय महाविद्यालय बालोद (छ.ग.)।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

प्राचार्य 25.2.21
शासकीय जी.एस.जी. पी.जी. महाविद्यालय बालोद
PRINCIPAL
Government Ghanshyam Singh Gupt
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य(अग्रणी), शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.),

वेबसाइट– www.govtcollbalod.ac.in, ईमेल– govtcollbalod@rediffmail.com

क्रमांक– 1322/2/अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021 बालोद, दिनांक– 25/02/2021

प्रति,

श्रीमती विनीता साहू
C/o भिखलेश साहू
[illegible]
बालोद (छ.ग.)

विषय :– अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रण।

संदर्भः– 1. उपसचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक एफ–3–32/2020/38–1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22/01/2021 ।

2. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 339/निस/आउशि/2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/02/2021 ।

==00==

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के परिपालन में इस महाविद्यालय में सत्र 2020–21 के लिए अतिथि व्याख्याता के रूप में ......प्राणिशास्त्र...............विषय में अध्यापन कार्य करने हेतु आपको आमंत्रित किया गया है। अतः आप आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक से 02 मार्च 2021 तक महाविद्यालय में आवेदन पत्र, न्यायालयीन आदेश **एवं नीचे कंडिका 05 में दर्शित शपथ–पत्र के साथ** अपनी उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण–पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाये जाने पर एवं अपात्र पाये जाने पर यह आमंत्रण स्वमेव निरस्त हो जावेगा :–

1 यह आमंत्रण सत्र 2020–21 में अध्यापन कार्य जारी रहने तक लागू रहेगी, लेकिन महाविद्यालय में शासन द्वारा अन्य किसी प्रकार की नियुक्ति/पदांकन होने पर अतिथि व्याख्याता की यह व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

2 अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नही बनेगी और न ही अधिमानिक बर्ताव (Preferention Treatment) के हकदार होंगे। अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेंगें और वे लोक सेवा की विधि-विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नही माने जायेंगे।

3 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु रिक्त पदो के विरूद्ध प्रति व्याख्यान के लिए रूपये 200/– (रू. दो सौ मात्र) प्रतिदिन रूपये 800/– (रू. आठ सौ मात्र) तथा प्रतिमाह रूपये 20800/– (रू. बीस हजार आठ सौ मात्र) की सीलिंग के अधीन होगा, पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा।

4 महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगें।

5 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु महाविद्यालय में उपस्थिति के साथ ही इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। साथ ही यह भी कि किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नही है तथा अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नही कर रहा है।

Scanned with CamScanner

6 सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नही दी किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभाग अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डो के उपरांत ही अवैतनि कर सकेंगें।

7. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घंटे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिनां पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर आपके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

8. महाविद्यालय में यदि आपके विरूद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शि या अनुशासनहीनता, जॉच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त का अधिकार होगा।

9. यह नियुक्ति शासन के निर्देशानुसार आगामी आदेश तक रहेगी।

10. उपरोक्त व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन होगी

25.2.21

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

PRINCIPAL
Government Ghanshyam Singh Gupt
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)
शासकीय ... महाविद्यालय बालोद
बालोद (छ.ग.)

पृष्ठां. कमांक–1323/2/अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021 बालोद, दिनांक – 25/02/2021

प्रतिलिपि–

1 अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

2 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, खण्ड सी 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

3 कलेक्टर, जिला कार्यालय बालोद, को सूचनार्थ।

4. स्थापना / लेखा शाखा, शासकीय महाविद्यालय बालोद (छ.ग.)।

25.2.21

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

PRINCIPAL
Government Ghanshyam Singh Gupt
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)
प्राचार्य
शासकीय ... महाविद्यालय बालोद

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य(अग्रणी), शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.),
वेबसाइट– www.govtcollbalod.ac.in, ईमेल– govtcollbalod@rediffmail.com

कमांक–1344/2/अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021 बालोद, दिनांक– 01/02/2021

प्रति,

कु. [illegible] चन्द्राकर
D/o श्री [illegible] सिंह चन्द्राकर
ग्राम [illegible], पो. तह. अभनपुर
जिला रायपुर (छ.ग.)

विषय :– अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रण।

संदर्भ:– 1. उपसचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र कमांक एफ–3–32/2020/38–1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22/01/2021 ।

2. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के पत्र कमांक 339/निस/आउशि/2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/02/2021 ।

==00==

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के परिपालन में इस महाविद्यालय में सत्र 2020–21 के लिए अतिथि व्याख्याता के रूप में ....[illegible]........विषय में अध्यापन कार्य करने हेतु आपको आमंत्रित किया गया है। अतः आप आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक से 02 मार्च 2021 तक महाविद्यालय में आवेदन पत्र, न्यायालयीन आदेश एवं नीचे कंडिका 05 में दर्शित **शपथ–पत्र के साथ** अपनी उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण–पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाये जाने पर एवं अपात्र पाये जाने पर यह आमंत्रण स्वमेव निरस्त हो जावेगा :–

1 यह आमंत्रण सत्र 2020–21 में अध्यापन कार्य जारी रहने तक लागू रहेगी, लेकिन महाविद्यालय में शासन द्वारा अन्य किसी प्रकार की नियुक्ति/पदांकन होने पर अतिथि व्याख्याता की यह व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

2 अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नही बनेगी और न ही अधिमानिक बर्ताव (Preferention Treatment) के हकदार होंगे। अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेंगें और वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नही माने जायेंगे।

3 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु रिक्त पदो के विरूद्ध प्रति व्याख्यान के लिए रूपये 200/– (रू. दो सौ मात्र) प्रतिदिन रूपये 800/– (रू. आठ सौ मात्र) तथा प्रतिमाह रूपये 20800/– (रू. बीस हजार आठ सौ मात्र) की सीलिंग के अधीन होगा, पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा।

4 महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगें।

5 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु महाविद्यालय में उपस्थिति के साथ ही इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। साथ ही यह भी कि किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नही है तथा अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नही कर रहा है।

Scanned with CamScanner

6 सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नही दी
किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभाग
अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डों के उपरांत ही अ
कर सकेंगें।

7. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घंटे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के
अनुपस्थित रहने पर आपके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

8. महाविद्यालय में यदि आपके विरूद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शि
या अनुशासनहीनता, जॉच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त
का अधिकार होगा।

9. यह नियुक्ति शासन के निर्देशानुसार आगामी आदेश तक रहेगी।

10. उपरोक्त व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन हो

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

PRINCIPAL
Government Ghanshyam Singh Gupt
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)
प्राचार्य
शासकीय जी.एस.जी. पी.जी. महाविद्यालय बालोद
जिला– बालोद (छ.ग.)

पृष्ठां. कमांक–1345/2 /अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021 बालोद, दिनांक – 01 /03/2021
प्रतिलिपि–

1 अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, खण्ड सी 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3 कलेक्टर, जिला कार्यालय बालोद, को सूचनार्थ।
4. स्थापना / लेखा शाखा, शासकीय महाविद्यालय बालोद (छ.ग.) ।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

PRINCIPAL 1-3-21
Government Ghanshyam Singh Gupt
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)
शासकीय जी.एस.जी. पी.जी. महाविद्यालय बालोद
O/C

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य(अग्रणी), शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.),
***वेबसाइट*– www.govtcollbalod.ac.in, *ईमेल*– govtcollbalod@rediffmail.com**

क्रमांक–1324/5 / अति.व्याख्याता / आमंत्रण / 2021 बालोद, दिनांक–25 / 02 / 2021

प्रति,

कि. [illegible] साहू
पिता श्री मुकुन्दलाल साहू
[illegible]
[illegible]

विषय :– अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रण।

संदर्भः– 1. उपसचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक एफ–3–32 / 2020 / 38–1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22 / 01 / 2021 ।

2. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 339 / निस / आउशि / 2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23 / 02 / 2021 ।

==00==

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के परिपालन में इस महाविद्यालय में सत्र 2020–21 के लिए अतिथि व्याख्याता के रूप में [illegible] विषय में अध्यापन कार्य करने हेतु आपको आमंत्रित किया गया है। अतः आप आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक से 02 मार्च 2021 तक महाविद्यालय में आवेदन पत्र, न्यायालयीन आदेश **एवं नीचे कंडिका 05 में दर्शित शपथ–पत्र के साथ** अपनी उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण–पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाये जाने पर एवं अपात्र पाये जाने पर यह आमंत्रण स्वमेव निरस्त हो जावेगा :–

1 यह आमंत्रण सत्र 2020–21 में अध्यापन कार्य जारी रहने तक लागू रहेगी, लेकिन महाविद्यालय में शासन द्वारा अन्य किसी प्रकार की नियुक्ति / पदांकन होने पर अतिथि व्याख्याता की यह व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

2 अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नही बनेगी और न ही अधिमानिक बर्ताव (Preferention Treatment) के हकदार होंगे। अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेंगें और वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नही माने जायेंगे।

3 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु रिक्त पदो के विरूद्ध प्रति व्याख्यान के लिए रूपये 200 / – (रू. दो सौ मात्र) प्रतिदिन रूपये 800 / – (रू. आठ सौ मात्र) तथा प्रतिमाह रूपये 20800 / – (रू. बीस हजार आठ सौ मात्र) की सीलिंग के अधीन होगा, पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा।

4 महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगें।

5 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु महाविद्यालय में उपस्थिति के साथ ही इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। साथ ही यह भी कि किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशासकीय सेवा में नही है तथा अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नही कर रहा है।

Scanned with CamScanner

6 सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नहीं
किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित लि
अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डो के उपरांत ही अ
कर सकेंगें।

7. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घंटे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना
अनुपस्थित रहने पर आपके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

8. महाविद्यालय में यदि आपके विरूद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यों में किसी प्रकार
या अनुशासनहीनता, जॉच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा स
का अधिकार होगा।

9. यह नियुक्ति शासन के निर्देशानुसार आगामी आदेश तक रहेगी।

10. उपरोक्त व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

PRINCIPAL
Government Ghanshyam Singh Gupta
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)
शासकीय ... महाविद्यालय बालोद

पृष्ठां. कमांक–1323/5 /अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021
प्रतिलिपि–
बालोद, दिनांक – 25/02/20

1 अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अ
नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, खण्ड सी 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्राव
भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3 कलेक्टर, जिला कार्यालय बालोद, को सूचनार्थ।
4. स्थापना / लेखा शाखा, शासकीय महाविद्यालय बालोद (छ.ग.)।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

PRINCIPAL 25.2.21
Government Ghanshyam Singh Gupta
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)
शासकीय जी.एस.जी. पी.जी. महाविद्यालय बालोद
जिला बालोद (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य(अग्रणी), शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.),
वेबसाइट– www.govtcollbalod.ac.in, *ईमेल*– govtcollbalod@rediffmail.com

क्रमांक–1322/12/अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021 बालोद, दिनांक– 25/02/2021

प्रति,

डॉ. [illegible] सिंह साहू
ग्रा. – [illegible]
तह. गुरूर, जिला-बालोद
[illegible] (छ.ग.)

विषय :– अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रण।

संदर्भ:– 1. उपसचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक एफ–3–32/2020/38–1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22/01/2021 ।

2. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 339/निस/आउशि/2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/02/2021 ।

==00==

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के परिपालन में इस महाविद्यालय में सत्र 2020–21 के लिए अतिथि व्याख्याता के रूप में ....[illegible]........विषय में अध्यापन कार्य करने हेतु आपको आमंत्रित किया गया है। अतः आप आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक से 02 मार्च 2021 तक महाविद्यालय में आवेदन पत्र, न्यायालयीन आदेश **एवं नीचे कंडिका 05 में दर्शित शपथ–पत्र के साथ** अपनी उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण–पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाये जाने पर एवं अपात्र पाये जाने पर यह आमंत्रण स्वमेव निरस्त हो जावेगा :–

1 यह आमंत्रण सत्र 2020–21 में अध्यापन कार्य जारी रहने तक लागू रहेगी, लेकिन महाविद्यालय में शासन द्वारा अन्य किसी प्रकार की नियुक्ति/पदांकन होने पर अतिथि व्याख्याता की यह व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

2 अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नही बनेगी और न ही अधिमानिक बर्ताव (Preferention Treatment) के हकदार होंगे। अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेंगें और वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नही माने जायेंगे।

3 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु रिक्त पदो के विरूद्ध प्रति व्याख्यान के लिए रूपये 200/– (रू. दो सौ मात्र) प्रतिदिन रूपये 800/– (रू. आठ सौ मात्र) तथा प्रतिमाह रूपये 20800/– (रू. बीस हजार आठ सौ मात्र) की सीलिंग के अधीन होगा, पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा।

4 महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगें।

5 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु महाविद्यालय में उपस्थिति के साथ ही इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। साथ ही यह भी कि किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नही है तथा अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नही कर रहा है।

Scanned with CamScanner

6 सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नही दी किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभाग अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डो के उपरांत ही अवैतनि कर सकेंगें।

7. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घंटे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर आपके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

8. महाविद्यालय में यदि आपके विरूद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शि या अनुशासनहीनता, जॉच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त का अधिकार होगा।

9. यह नियुक्ति शासन के निर्देशानुसार आगामी आदेश तक रहेगी।

10. उपरोक्त व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन हो

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

PRINCIPAL
Government Ghanshyam Singh Gupt P.G. College Balod, Distt- Balod (C.G.)
शासकीय ... महाविद्यालय बालोद
जिला बालोद (छ.ग.)

पृष्ठां. कमांक–1323/12/अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021 बालोद, दिनांक – 25/02/2021

प्रतिलिपि–

1 अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

2 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, खण्ड सी 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

3 कलेक्टर, जिला कार्यालय बालोद, को सूचनार्थ।

4. स्थापना / लेखा शाखा, शासकीय महाविद्यालय बालोद (छ.ग.)।

25.2.21

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

PRINCIPAL
Government Ghanshyam Singh Gupt P.G. College Balod, Distt- Balod (C.G.)
शासकीय ... महाविद्यालय बालोद
जिला बालोद (छ.ग.)

OC

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य(अग्रणी), शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.),
वेबसाइट– www.govtcollbalod.ac.in, *ईमेल*– govtcollbalod@rediffmail.com

क्रमांक– 1322/13 / अति.व्याख्याता / आमंत्रण / 2021 बालोद, दिनांक– 25 / 02 / 2021

प्रति,

[illegible]
[illegible]
पता- ग्राम+पोस्ट- पोटियाडीह
जिला- धमतरी

विषय :– अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रण।

संदर्भ:– 1. उपसचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक एफ–3–32 / 2020 / 38–1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22 / 01 / 2021 ।

2. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 339 / निस / आउशि / 2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23 / 02 / 2021 ।

==00==

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के परिपालन में इस महाविद्यालय में सत्र 2020–21 के लिए अतिथि व्याख्याता के रूप में ......[illegible]......विषय में अध्यापन कार्य करने हेतु आपको आमंत्रित किया गया है। अतः आप आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक से 02 मार्च 2021 तक महाविद्यालय में आवेदन पत्र, न्यायालयीन आदेश **एवं नीचे कंडिका 05 में दर्शित शपथ–पत्र के साथ** अपनी उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण–पत्रों की जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाये जाने पर एवं अपात्र पाये जाने पर यह आमंत्रण स्वमेव निरस्त हो जावेगा :–

1 यह आमंत्रण सत्र 2020–21 में अध्यापन कार्य जारी रहने तक लागू रहेगी, लेकिन महाविद्यालय में शासन द्वारा अन्य किसी प्रकार की नियुक्ति / पदांकन होने पर अतिथि व्याख्याता की यह व्यवस्था स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

2 अतिथि व्याख्याता के रूप में आपकी सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नही बनेगी और न ही अधिमानिक बर्ताव (Preferention Treatment) के हकदार होंगे। अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेंगें और वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नही माने जायेंगे।

3 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु रिक्त पदो के विरूद्ध प्रति व्याख्यान के लिए रूपये 200 / – (रू. दो सौ मात्र), प्रतिदिन रूपये 800 / – (रू. आठ सौ मात्र) तथा प्रतिमाह रूपये 20800 / – (रू. बीस हजार आठ सौ मात्र) की सीलिंग के अधीन होगा, पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा।

4 महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगें।

5 अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु महाविद्यालय में उपस्थिति के साथ ही इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। साथ ही यह भी कि किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशासकीय सेवा में नही है तथा अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नही कर रहा है।

E:\Gest Lectur\ Gest Lectur - Memo & Latter

Scanned with CamScanner

6 सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नहीं [illegible] किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित [illegible] अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डो के उपरांत ही [illegible] कर सकेंगें।

7. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घंटे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर आपके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

8. महाविद्यालय में यदि आपके विरूद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यों में किसी प्रकार की [illegible] या अनुशासनहीनता, जॉच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा [illegible] का अधिकार होगा।

9. यह नियुक्ति शासन के निर्देशानुसार आगामी आदेश तक रहेगी।

10. उपरोक्त व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन होगी।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

प्राचार्य
शासकीय जी.एस.जी. पी.जी. महाविद्यालय बालोद
PRINCIPAL
Government Ghanshyam Singh Gupt
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)

पृष्ठां. कमांक– 1323/13/अति.व्याख्याता/आमंत्रण/2021 बालोद, दिनांक – 25/02/2021

प्रतिलिपि–

1. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, खण्ड सी 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला कार्यालय बालोद, को सूचनार्थ।
4. स्थापना / लेखा शाखा, शासकीय महाविद्यालय बालोद (छ.ग.)।

संयोजक
अतिथि व्याख्याता समिति

प्राचार्य 25-2-21
शासकीय जी.एस.जी. पी.जी. महाविद्यालय बालोद
PRINCIPAL
Government Ghanshyam Singh Gupt
P.G. College Balod, Distt. Balod (C.G.)

Scanned with CamScanner